

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 1(2)एमई/ग्रुप-1/2013


जयपुर, दिनांक :

आदेश

30 AUG 2017

चर्म एवं रति रोग विशिष्टता की पूर्व में दिनांक 02.02.2013 को आयोजित डीएसीपी स्क्रीनिंग कमेटी की अनुशंषाओं को डॉ० भीकम चन्द घीया सह आचार्य चर्म एवं रति रोग के प्रकरण में रिव्यू किये जाने हेतु राजस्थान चिकित्सा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1962 के नियम 24 बी बी के उपनियम (5) के तहत डायनामिक एस्योर्ड करियर प्रोगेशन स्कीम (डीएसीपी) के तहत स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिनांक 14.08.2017 को आयोजित की गयी। कमेटी की अनुशंषा पर डॉ० भीकमचन्द घीया को डीएसीपी के तहत पूर्व में दिनांक 28.05.2011 से सह आचार्य, चर्म एवं रति रोग के पद पर पदोन्नति हेतु की गयी अनुशंषा को निरस्त कर उनको दिनांक 01.04.2017 से सह आचार्य, चर्म एवं रति रोग के पद पर एतद्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है। इस पदोन्नति पर डॉ० घीया अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर यथावत पदस्थापित रहेंगे।


आज्ञा से,


(रतन लाल)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राज. जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, अजमेर/बीकानेर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर।
6. सहायक प्रोग्रामर को चिकित्सा शिक्षा की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. सम्बन्धित चिकित्सक द्वारा मेडिकल कॉलेज बीकानेर।
7. रक्षित पत्रावली।


(महेश व्यास)

शासन सहायक सचिव